राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –188 / 2022

(अपील संख्या–738 / 2020)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद डोरिया –प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. वैभव गलारिया पुत्र नामालूम पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर।
2. श्री अखिल अरोड़ा, पुत्र नामाकूल पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर।
3. डॉ. वी.के. माथुर पुत्र नामालूम, पदेन निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, शासन सचिवालय के पीछे, अशोक नगर, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.05.2022
आदेश की दिनांक : 07.02.2024

उपस्थित :–
प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री कमल किशोर महर्षि, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि इस प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.07.2023 पारित किया है, जिसमें अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका में आगे कार्यवाही नहीं करने की अण्डर टेकिंग दी है। इस प्रकरण में चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीन है और अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका में आगे कार्यवाही नहीं करने हेतु अण्डर टेकिंग दी है। ऐसे में यह अवमानना याचिका इस आधार पर निस्तारित की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में यदि अपीलार्थी के पक्ष में कोई आदेश पारित किया जाता है या स्थगन आदेश निरस्त किया जाता

है तो अपीलार्थी नये सीरे से अवमानना याचिका प्रस्तुत करने अथवा इस अवमानना याचिका को पुनः बहाल कराने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

2. उक्त आदेश के साथ अवमानना याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)